कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक दौसा (राजस्थान)

:: कार्यालय–आदेश ::

राजस्थान अधीनस्थ एवम् मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर द्वारातृतीय वेतन श्रृंखला प्रयोगशाला सहायक पद हेतु आयोजित भर्ती परीक्षा 2016 में अभिस्तावित किये गये निम्नाकित चयनित अभ्यर्थियों को निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1/12102/प्र0शा0स0–111 (लूज)/सी.भ./2016 दिनांक 12–06–2018 द्वारा तृतीय वेतन श्रृंखला प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति /पदस्थापन करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप एवम् पत्र क्रमांक शिविरा–माध्य / संस्था /एफ–1/12102/ प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III/सी.भ. /2016 दिनांक 07–02–2018 की पालना में निम्नांकित चयनित आशार्थियों को तृतीय वेतन श्रृंखला प्रयोगशाला सहायक के पद पर राज्य सरकार के पत्रांक प.17(8)शिक्षा–2/2015 दिनांक 19–12–2017 के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय मे रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार वेतन लेवल–08 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 18500/– रू. प्रतिमाह/ विद्यमान वेतनमान पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति नवीन अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

इन आदेशों पर राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेश/निर्देश लागू होंगे। सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे:–

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी का सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट (जिसमें कोई प्रतिकूल प्रविष्ठी नहीं हो) एवम् सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा। पूर्व से राजकीय सेवा मे सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नही होगा परन्तु उन्हे अपने पूर्व पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः एफ.7 (1) डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानो के फलस्वरूप कुल संतानो की संख्या दो से अधिक नही होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/–रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्राप्त किया जावे।
3. राज्य से बाहर की संस्थाओ से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बन्धी जाँच विभाग स्तर पर करवायी जानी शेष है। अतः जिन अभ्यर्थियो द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओ से शैक्षिक /प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गयी है, उन्हे यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओ से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यधीन प्रदान की जा रही है। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यार्थियो से 50/– रूपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगें कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर से अर्जित की गई शैक्षिक/ प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हे प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति मे यह नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
4. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें। मिलान में यदि कोई भिन्नता पाई जावे/ संदेह की स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नही कराया जावे तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना/प्रकरण भिजवाया जाये।
5. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्था प्रधान से हस्ताक्षरित नहीं है,तो उनके मूल प्रमाण पत्र पर सम्बन्धित संस्था प्रधान के हस्ताक्षरित एवम् प्रमाणीकरण की पुष्टि करने एंव उसकी सत्यापित प्रति अभिलेख मे रखने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करावें।
6. यदि आशार्थियो के पास नियमानुसार तृतीय वेतन श्रृंखला प्रयोगशाला सहायक के पद की निर्धारित योग्यता नही हो तो आशार्थी कार्यग्रहण नहीं करें एवम् सम्बन्धित संस्था प्रधान इन्हें कार्यग्रहण नहीं करावे। अभ्यर्थी के दस्तावेजो में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं करावे एवम् तत्काल इस कार्यालय को सूचित करे ।
7. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवम् पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है परन्तु अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा

Scanned by CamScanner

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक दौसा (राजस्थान)

नहीं करने पर कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछडा वर्ग प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछडा वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण करवाया जावे। **यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो कार्यग्रहण नहीं करावें एवम् वस्तु स्थिति सहित उनका आवेदन पत्र अग्रिम निर्देश/ कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवायें।**

8. कार्यग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र पर चस्पा छाया चित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चितता करली जावे कि वही अभ्यर्थी कार्यग्रहण करे जिसका आवेदन पत्र पर छाया चित्र (फोटो) चस्पा है।
9. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रसारित विज्ञप्ति के सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित एस.बी. सिविल याचिका संख्या 8555/2017, 11523/2017, 10421/2017 एवम् विभिन्न याचिकाओं/ अपील के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहते हुये की गई हैं।
10. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजो की जाँच आवश्यक रूप से कर लेवें।
11. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र अवश्य लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाए एवं दस्तावेज सही है, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाए जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
12. कार्यग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3) कार्मिक/ क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवम् गुटखा सेवन नहीं करने सम्बन्धी वचनबद्धता **(Undertaking)** निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावें।
13. राज्य सरकार/ विभाग द्वारा समय–समय पर जारी अन्य निर्देश मान्य होंगे तदनुसार कार्यग्रहण करवाने से पूर्व इनकी पालना भी सुनिश्चित करेंगे।

इन्हें नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर समस्त मूल प्रमाण पत्र एवं दो प्रतियो मे फोटो प्रति सहित दिनांक 30–06–2018 तक स्वंय उपस्थित होकर कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। सभी सम्बन्धित संस्थाप्रधान इनके कार्यग्रहण करने की अथवा नहीं करने की सूचना तत्काल वाहक स्तर पर इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे एवम् **शाला दर्पण पर इसकी सूचना अपडेट करें।**

क. सं.	मेरिट नं	वर्ग	नाम अभ्यर्थी/पिता का नाम (सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री) एवं स्थाई पता	जन्म तिथि	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान	वि.वि.
1.	**1265**	**OBC-NON CREMY**	श्री रमेश चन्द कुमावत पुत्र श्री रूडमल कुमावत पानी की टंकी के पास, वार्ड नं.–13 रींगस जिला–सीकर (राजस्थान), पिन–332404	17-12-86	OBCM	राजकीय उच्च माध्य. विद्यालय, बैजूपाडा (बांदीकुई)	

(ओमप्रकाश शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक–दौसा

क्रमांकः–जिशिअ/मा/दौसा/संस्था–2/फा–प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III नियुक्ति/2018/ 1124 दिनांक 19–02–2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवम् मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर ।
5. निदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
6. शिक्षा उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक जयपुर संभाग जयपुर।
7. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा दौसा।
8. **सम्बन्धित संस्था प्रधान .... को उक्त अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र मय संलग्नक संलग्न कर प्रेषित है।।**
9. सम्बन्धित अभ्यर्थी..................................(जरिये पंजीकृत डाक)
10. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक–दौसा

Scanned by CamScanner